



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित: 14.10.2025

निर्णय पारित : 04.11.2025

दाण्डिक अपील सं. 1005/2022

फरिदा मिर्जा पति- स्वर्गीय चांद खां मिर्जा, आयु- लगभग 45 वर्ष, निवासी- बिटकुली चौकी, करहिबाजार, थाना- सिटी कोतवाली, बलौदाबाजार, जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़

..... अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- करही बाजार पुलिस चौकी, थाना- सिटी कोतवाली, बलौदाबाजार, जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़

..... उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रवीण कुमार तुलस्यान, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य की ओर से : श्री शैलेश कुमार पुरिया, अधिष्ठित अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी)

सी. ए. व्ही. निर्णय

1. इस दाण्डिक अपील को धारा के तहत प्राथमिकता दी गई है। 374(2) विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस.), बलौदाबाजार, जिला द्वारा पारित दोष सिद्ध के निर्णय और 13.5.2022 दिनांकित दण्डादेश के विरुद्ध। विशेष दाण्डिक (एन. डी. पी. एस.) प्रकरण सं. 04/2018 में बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.), जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश ने 2 अपीलार्थी दोषी ठहराया गया, दोषी ठहराया गया और उसे निम्नलिखित तरीके से सजा सुनाई गई:-



सरल क्रं.	धारा के तहत दोषसिद्धि	कारावास का दण्ड	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम की दशा में दण्ड
01.	स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग)	10 वर्ष का सश्रम कारावास	रु.1,00,000/-	01 वर्ष का सश्रम कारावास

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि 16.02.2018 को दोपहर लगभग 02:30 पुलिस चौकी, करहिबाजार, थाना सिटी कोतवाली, बलौदाबाजार के उप निरीक्षक आर. एस. सिंह (अ.सा.-16) को शाम को सूचना मिली कि अपीलकर्ता/आरोपी ने अवैध रूप से विनिषिद्ध पदार्थ गांजा को बेचने के आशय से उसके घर में संग्रहीत किया था। इस जानकारी को उन्होंने रोजनामचा सान्हा (प्र.P/25C) में लेखबद्ध किया। हीराराम और अमरदास माणिकपुरी नामक दो साक्षियों को बुलाने के बाद, मुखबीर सूचना पंचनामा (प्र.P/2) तैयार किया गया। इसके बाद विनिषिद्ध पदार्थ को गलत तरीके से व्ययन या साक्ष्य छिपाने की संभावना के डर से, वह अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों और साक्षियों को ब्रिटकुली गांव में अभियुक्त के घर ले गया और अपीलार्थी को बुलाया, जो उसके घर में था, उसे गुप्त जानकारीके बारे में सूचित किया और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत उसे नोटिस (प्र.P /4) दिया गया। आवश्यक पंचनामे तैयार किए गए, अभियुक्त/अपीलार्थी और उसके घर की तलाशी ली गई, जिसमें 'गोल्ड मोहर' ट्रेडमार्क वाले एक पीले प्लास्टिक के बोरे में एक सफेद फिल्म में लिपटे गांजा जैसे विनिषिद्ध पदार्थ के 25 पैकेट थे, और 'स्काई बैग' ट्रेडमार्क वाले एक काले बैकपैक बैग में एक पैकिंग टेप, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में लिपटे गांजा जैसे विनिषिद्ध पदार्थ के 3 पैकेट थे। इस संबंध में एक बरामदगी पंचनामा (प्र.P/11) तैयार किया गया था। बरामद पदार्थ को पहचानने के लिए सूँघा गया, रगड़ा गया और जलाया गया और यह 'गांजा' होना पाया गया। इस संबंध में एक पहचान पंचनामा (प्र.P/12) तैयार किया गया था। इसके बाद मापक शंकर पटेल द्वारा जब्त किए गए 28 पैकेटों को तौला गया, जिसमें 25 पैकेट वाले प्लास्टिक के थैले और 3 पैकेट वाले काले थैले में कुल 29.104



किलोग्राम गांजा जैसा पदार्थ पाया गया, जिसमें से 100 ग्राम के दो नमूने अलग-अलग तैयार किए गए और इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया। अपीलार्थी के पास उपरोक्त निषिद्ध पदार्थ रखने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, इसलिए, इसे आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के साथ जब्त किया गया और पत्रक प्र.P/16 तैयार किया गया। अपीलार्थी को प्र.P /17 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था और देहाती नालीशी (प्र.P /36) को मौके पर तैयार किया गया था, स्पॉट मैप (प्र.P /37) भी तैयार किया गया था। पुलिस स्टेशन पहुँचने पर, बिना नंबर वाली प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.P /38) अभिलेखित की गई और प्रथम सूचना प्रतिवेदन आर. भी पुलिस स्टेशन, बलौदा बाजार में अभिलेखित की गई। जब्त की गई वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पुलिस थाने के मालखाने में जमा किया गया और रसीद प्राप्त की गई। 18.02.2018 पर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भाटापारा के समक्ष सूची तैयार की गई थी, प्र.P /31 के माध्यम से, जब्त किए गए निषिद्ध पदार्थ को तौला गया, सील कर दिया गया और कार्यवाही की तस्वीरें खींची गईं। जब्त किए गए दो नमूनों को प्र.P /23 के माध्यम से रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल., रायपुर भेजा गया था, जिसमें एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्र.P /42) के अनुसार, यह 'गांजा' बताया गया था। बलौदाबाजार के उप-मंडल अधिकारी (पुलिस) को पूरी कार्यवाही के बारे में सूचित किया गया था। अन्वेषण के बाद, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'एन. डी. पी. एस. अधिनियम') की धारा 20(ख) के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस.), बलौदाबाजार (छ.ग.) के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त के विरुद्ध एन. डी. पी. एस. अधिनियम की 20(ख)(ii)(ग) के तहत आरोप विरचित किए और पढ़कर समझाया, जिससे उसने अस्वीकार किया और विचारण का दावा किया।

4. अपीलार्थी/अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने हेतु अभियोजन पक्ष ने 16 साक्षियों से पूछताछ की है और निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रदर्शन किया है:-



01.	प्र.P/1	रेड कार्यवाही के साक्षी को नोटिस	02.	प्र.P/2	एन.डी.पी सूचनाकर्ता सूचना पंचनामा
03.	प्र.P/3	एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42(2) के तहत नोटिस	04.	प्र.P/4	एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस
05.	प्र.P/5	तलाशी हेतु अभियुक्त की सहमति	06.	प्र.P/6	साक्षी की सहमति पंचनामा
07.	प्र.P/7	अभियुक्त की सहमति पंचनामा	08.	प्र.P/8	तलाशी पंचनामा
09.	प्र.P/9	तलाशी पंचनामा	10.	प्र.P/10	तलाशी पंचनामा
11.	प्र.P/11	जति पंचनामा	12.	प्र.P/12	स्वापक औषधि पहचान पंचनामा
13.	प्र.P/13	भौतिक सत्यापन	14.	प्र.P/14	स्वापक औषधि मापन पंचनामा
15.	प्र.P/15	स्वापक औषधि नमूना मापन पंचनामा	16.	प्र.P/16	जति पत्रक
17.	प्र.P/17	गिरफ्तारी पत्रक	18.	प्र.P/17A	गिरफ्तारी की सूचना
19.	प्र.P/18	मौका नक्शा	20.	प्र.P/19C	मौका नक्शा हेतु तहसीलदार को नोटिस
21.	प्र.P/20	वजन मापने वाले को नोटिस	22.	प्र.P/21	कल्चर्य प्रमाण-पत्र
23.	प्र.P/22	रासायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. को पत्र	24.	प्र.P/23	एफ.एस.एल. से सामग्री की प्राप्ति
25.	प्र.P/24C	मालखाना पंजी में प्रविष्टि की सत्यापित प्रति	26.	प्र.P/25C	रोजनामचा सान्हा की प्रति





27.	प्र.P/26C	रोजनामचा सान्हा की प्रति	28.	प्र.P/27C	रोजनामचा सान्हा की प्रति
29.	प्र.P/28C	एस.डी.ओ.(पी.) कार्यालय को सूचना	30.	प्र.P/29	कर्तव्य प्रमाण-पत्र
31.	प्र.P/30	कर्तव्य प्रमाण-पत्र	32.	प्र.P/31	वजन पंचनामा
33.	प्र.P/32	वस्तुसूची कार्यवाही हेतु पत्र	34.	प्र.P/33	वस्तुसूची
35.	प्र.P/34	वजन मापने वाले को नोटिस	36.	प्र.P/35	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)ख(2) के तहत तैयार किए गए विवरण
37.	प्र.P/36	देहाती नालिशी	38.	प्र.P/37	मौका नक्शा
39.	प्र.P/38	प्रथम सूचना प्रतिवेदन	40.	प्र.P/39	सुपुर्दनामे की पावती
41.	प्र.P/40	कर्तव्य प्रमाण-पत्र	42.	प्र.P/41	एफ.एस.एल. से पुलिस अधीक्षक को पत्र
43.	प्र.P/42	एफ.एस.एल. रिपोर्ट			

5. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किया जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रकट होने वाली दोष स्थापित करने वाली सभी परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोष होने का अभिवाक् किया तथा झूठा फंसाए जाने का दावा किया परंतु उसने अपने बचाव में एक भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

6. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद अपीलार्थी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (ख) (ii) (ग) के तहत सिद्धदोष किया और उसे दण्डादेश दिया जैसा कि इस निर्णय के शुरुआती परिच्छेद में उल्लेख किया गया है। इसलिए यह अपील की गई है।



7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन कथा के अनुसार, अपीलार्थी के घर से गांजे के 28 पैकेट जब्त किए गए थे। परन्तु अन्वेषण अधिकारी आर. एस. सिंह (अ.सा.-16) ने स्वयं अपने प्रति-परीक्षण के परिच्छेद 37 में स्वीकार किया है कि 28 पैकेटों में से उसने केवल एक पैकेट खोला था और केवल उस पैकेट की सामग्री की जांच की थी। उन्होंने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने शेष 27 पैकेट नहीं खोले थे। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यद्यपि आर. एस. सिंह (अ.सा.-16) अन्वेषण अधिकारी थे, परन्तु उन्होंने अपने प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया कि वह यह नहीं बता सकते कि बरामद होने के बाद उन्होंने कथित विनिषिद्ध पदार्थ को किसकी अभिरक्षा में रखा था। विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि कथित विनिषिद्ध पदार्थ की जब्ती के बाद, इसे आरक्षक जागेश्वर प्रसाद (अ.सा.-8) (मालखाना मुहरिम) की अभिरक्षा में रखा गया था, जिन्होंने विनिषिद्ध पदार्थ लिया था और मालखाना पंजी (प्र.P/24C) में प्रवेश किया था। इस साक्षी ने विशेष रूप से कथन किया है कि कथित रूप से दो नमूने के पैकेट मालखाने में रखे गए थे, परन्तु इस तथ्य को मालखाना पंजी (प्र.P/24C) की प्रति से समर्थन नहीं मिलता है, क्योंकि उस दस्तावेज में केवल 28 पैकेटों को मालखाने में रखने का समर्थन किया गया है। मालखाने में दो कथित नमूना पैकेट रखने के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। वह आगे निवेदन करते हैं कि वर्तमान प्रकरण में, सूची (प्र.P/33) कार्यपालक मजिस्ट्रेट (अ.सा.-13) की उपस्थिति में तैयार की गई है, बल्कि इसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तैयार किया जाना चाहिए था। आगे वे निवेदन करते हैं कि चूंकि नमूना सभी पैकेटों से एकत्र नहीं किया गया है या उसे सभी पैकेटों के कथित निषिद्ध पदार्थ को एक साथ रखने के बाद एकत्र नहीं किया गया है और कथित नमूने के संग्रह के बाद, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी एकत्र नहीं किया गया था, यह स्पष्ट नहीं था कि क्या इसे रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल. को भेजने से पहले सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था, अतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त नमूने के संबंध में कोई छेड़छाड़ हुई होगी, जिसे एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र.P/42 में गांजा बताया गया था। वे अंत में निवेदन करते हैं कि अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को साबित करने में विफल रहा है,



अतः वे प्रार्थना करते हैं कि अपीलार्थी को संदेह का लाभ देकर उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाए। इस संबंध में उन्होंने **सुरेपल्ली श्रीनिवास बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य), (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 683)** के प्रकरण का अवलंब लिया।

8. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सूची तैयार नहीं की गई थी या उनके सामने नमूने एकत्र नहीं किए गए थे, परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित किया गया है कि अपीलार्थी के कब्जे से कथित विनिषिद्ध पदार्थ जब्त किया गया था, वह भी उसके घर से। आगे वे निवेदन करते हैं कि **भरत आंबले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, [(2025) 8 एस. सी. सी. 452]** के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 क के उपबंधों का उसके अक्षर और भाव में पालन न करने के कारण, अपीलार्थी को तब दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि अभियोजन के प्रकरण में अन्य खामियां न हों। परन्तु अपीलार्थी प्रकरण में किसी अन्य भौतिक कमी को साबित करने में विफल रहा है, इसलिए अपीलार्थी को संदेह का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वे प्रार्थना करते हैं कि अपील खारिज की जाए।

9. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और विशेष न्यायालय के अभिलेख सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

10. आर. एस. सिंह (अ.सा.-16) इस प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी था। उसने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि 16.02.201 को मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिली थी कि अपीलार्थी ने विक्रय के लिए अपने घर में गांजा छिपा रखा था। इसके बाद इसे प्र.P/25C के माध्यम से लेखबद्ध किया गया और स्वतंत्र साक्षियों को बुलाया गया। वह स्वतंत्र साक्षियों और उनके साथ आए पुलिस कर्मियों के साथ अपीलार्थी के घर गया, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत उसे नोटिस दिया और आवश्यक पंचनामा तैयार करने के बाद अपीलार्थी के घर में तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान अपीलार्थी के घर के कमरे से 'गोल्ड मोहर' ट्रेडमार्क वाला एक प्लास्टिक बैग बरामद किया गया,



जिसमें धागे से बंधा हुआ था, जिसमें गांजा जैसे विनिषिद्ध पदार्थ के 25 पैकेट एक सफेद फिल्म में पैक किए गए थे और 'स्काई बैग' ट्रेडमार्क वाले एक काले बैग में गांजा जैसे निषिद्ध पदार्थ के तीन पैकेट थे। अपीलार्थी के घर से पैकिंग टेप, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी बरामद किए गए। चूँकि अपीलार्थी के पास उपरोक्त निषिद्ध पदार्थ रखने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, अतः 1 लाख 12 हजार रुपये के मूल्य के गांजे जैसे पदार्थ के कुल 28 पैकेट 29.104 किलोग्राम, पत्रक प्र.P /16 के माध्यम से अभियुक्त से उसके आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के साथ जब्त किए गए।

11. अन्वेषण अधिकारी ने आगे अभिकथन किया है कि जब्त की गई सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए मालखाने में रखा गया था और एक विस्तृत रिपोर्ट एस.डी.ओ. (पुलिस), बलौदाबाजार को प्र.P/28 के माध्यम से भेजी गई थी। जब्त किए गए नमूनों को 'A' और 'B' चिह्नित पैकेटों में रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल. भेजा गया था और नमूने एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्र.P/42) में 'गांजा' बताए गए थे।

12. प्रति-परीक्षण के परिच्छेद 35 में, अन्वेषण अधिकारी (अ.सा.-16) ने कहा है कि, आई. डी. 1 के माध्यम से विनिषिद्ध पदार्थ की बरामदगी के बाद, बरामद मादक पदार्थों को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था, यद्यपि, वह यह नहीं बता सका कि अन्वेषण के समय किस पुलिस अधिकारी के पास बरामद किए गए सामान थे, परन्तु इस अज्ञानता का ज्यादा महत्व नहीं है। उसने आगे प्रति-परीक्षण में कहा है कि विनिषिद्ध पदार्थों को जब्त करने के बाद सीलबंद कर दिया गया था।

13. तलाशी और जब्ती के गवाह, अर्थात् हीराम राम (अ.सा.-1), अमरदास माणिकपुरी (अ.सा.-2) और वीगर उमाशंकर पटेल (अ.सा.-3) ने संबंधित दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर के अलावा अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

14. सिपाही मुकेश वर्मा (अ.सा.-5), सिपाही सत्यदेव बंजारे (अ.सा.-6), आरक्षक धन्नु सिरसो (अ.सा.-7), आरक्षक शिव चतुर्वेदी (अ.सा.-10) और सहायक उप निरीक्षक जगदेव कुमार साहू (अ.सा.-15) पुलिस कर्मी थे, जो घटना स्थल पर और अन्वेषण अधिकारी



द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान मौजूद थे। उन्होंने अन्वेषण अधिकारी आर. एस. सिंह (अ.सा.-16) द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित अभिसाक्ष्य का समर्थन किया है।

15. अन्वेषण अधिकारी आर. एस. सिंह (अ.सा.-16) के अभिसाक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी के घर से विनिषिद्ध पदार्थ गांजे के कुल 28 पैकेट उसके कब्जे से जब्त किए गए थे, जिनमें से 100 ग्राम के दो नमूने तैयार किए गए थे और वजन उमाशंकर पटेल (अ.सा.-3) ने प्र.P /15 के माध्यम से किया था, परन्तु न तो प्र.P /15 में यह उल्लेख किया गया है कि 100 ग्राम के कथित दो नमूने एक पैकेट से या प्रत्येक पैकेट से या कितने पैकेटों से निकाले गए थे। यह तथ्य भी अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपने परीक्षण -इन-चीफ में विशेष रूप से नहीं कहा गया है, बल्कि प्रति-परीक्षण परिच्छेद 37 में, उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि 28 पैकेटों में से केवल एक पैकेट खोला गया था, जिसमें से कुछ विनिषिद्ध पदार्थ निकंडिका ला गया था और उनकी पहचान की गई थी और अन्य 27 पैकेट नहीं खोले गए थे। इसका अर्थ है कि कथित एक पैकेट से दो नमूने लिए गए थे और उन्हें रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल. भेजा गया था और एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्र.P/42) के अनुसार, यह 'गांजा' बताया गया है। यद्यपि, चूंकि अन्य 27 पैकेट नहीं खोले गए थे और उनसे कोई नमूना नहीं लिया गया था, इसलिए सूंघने, रगड़ने या जलने से उनकी पहचान नहीं की जा सकी और न ही इन पैकेटों के नमूने रासायनिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एल. को भेजे गए थे। अन्वेषण अधिकारी या अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षियों द्वारा यह भी साबित नहीं किया गया है कि सभी 28 पैकेटों पर कोई समान व्यापार चिह्न, पहचान चिह्न या कोई समान चीजें थीं जो यह मानती हैं कि सभी पैकेट एक ही पहचान के थे, अतः केवल एक पैकेट की कथित सामग्री का परीक्षण करने पर, यह साबित नहीं किया जा सकता है कि अन्य 27 पैकेटों में मौजूद सामग्री भी गांजा थी।

16. यद्यपि अभिसाक्ष्य अधिकारी (अ.सा. -16) के अभिसाक्ष्य के अनुसार, 28 पैकेटों में से केवल एक पैकेट खोला गया था, परन्तु इसका उल्लेख न तो बारमदगी पंचनामे (प्र.P/11) में किया गया है और न ही मादक पदार्थ पहचान पंचनामे (प्र.P/12) में और न ही पंचनामे (प्र.P/15) वाले मादक पदार्थ के नमूने में और न ही पत्रक (प्र.P/16) में



और न ही अन्वेषण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी भी दस्तावेज में कि उस पैकेट को खोलने के बाद, इसे सील कर दिया गया था और अन्य पैकेटों से अलग रखा गया था। आगे वजन मापने वाले उमाशंकर पटेल (अ.सा.-3) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि कथित तौर पर दो नमूने के पैकेट, जिनमें से प्रत्येक में 100 ग्राम थे, अगले दिन जब्त किए गए विनिषिद्ध पदार्थ से निकाले गए थे और उस समय उन पैकेटों को खोला गया था। उपरोक्त अंतर्विरोधों को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि मालखाना पंजी (प्र.P/24C) में, यह उल्लेख नहीं अभिनिर्धारित किया जाता है गया है कि मालखाने में कथित रूप से दो नमूना पैकेट जमा किए गए थे, यह उचित संदेह से परे साबित नहीं अभिनिर्धारित किया जाता है जा सकता है कि एफ.एस.एल. को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए कथित दो नमूने अपीलार्थी के कब्जे से जब्त किए गए निषिद्ध पदार्थ थे।

17. वर्तमान प्रकरण में, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52 क (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया, कार्यपालक मजिस्ट्रेट रजनी भगत (अ.सा.-13) से की गई है, जिन्होंने पंचनामा (प्र.P/31), इन्वेंट्री (प्र.P/33) तैयार किया और उनके सामने की गई कार्यवाही को तस्वीरें भी खींची गईं। यद्यपि, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 क (2) के तहत प्रक्रियाएं न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष संचालित की जानी चाहिए थीं, न कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष। यह भी साबित नहीं हुआ है कि जब्त किए गए विनिषिद्ध पदार्थ से कार्यपालक मजिस्ट्रेट रजनी भगत (अ.सा.-13) के समक्ष नमूने निकाले गए थे और एफ.एस.एल. से नमूनों की जांच की गई थी, अतः यह साबित नहीं अभिनिर्धारित किया जाता है जा सकता है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 53 क (2) के प्रावधानों का पालन अभिनिर्धारित किया गया है।

18. (2016) 3 एस. सी. सी. 379 में प्रतिवेदित भारत संघ बनाम मोहनलाल व एक अन्य के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 क पर विचार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि विनिषिद्ध पदार्थ की जब्ती पर, इसे या तो निकटतम पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी या धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेजा जाना है जो जब्त किए गए विनिषिद्ध पदार्थ की सूची



तैयार करने और फिर उसकी शुद्धता प्रमाणित करने के उद्देश्यों के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के लिए बाध्य है। आगे यह प्रतिपादित किया गया है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए नमूने और उसकी सूची केवल प्रमाणित होने पर विचारण के उद्देश्यों के लिए प्राथमिक साक्ष्य का गठन करेगी।

19. यूसुफ @आसिफ बनाम राज्य (2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1328) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“16. यह स्थापित करने के लिए अभिलेख पर किसी भी सामग्री के अभाव में कि जब्त किए गए विनिषिद्ध पदार्थ के नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए थे और जब्त किए गए विनिषिद्ध पदार्थ की सूची मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई थी, यह स्पष्ट है कि उक्त जब्त किए गए विनिषिद्ध पदार्थ और उनसे लिए गए नमूने विचारण में प्राथमिक साक्ष्य का वैध टुकड़ा नहीं होंगे। एक बार जब कोई प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, तो समग्र रूप से विचारण दूषित हो जाता है।

17. तदानुसार, हमारा मत है कि प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में संबंधित अधिकारियों की विफलता दोषसिद्धि को दूषित करती है और हमारे मत में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त किना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश, जिसमें अपीलकर्ता को सिद्धदोष किया गया था और उसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था—और जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया था—उसे इसके द्वारा रद्द किया जाता है।





20. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने भरत आंबले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, [(2025) 8 एस. सी. सी. 452] के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53क या उसके तहत नियमों/स्थायी आदेशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का गैर- अनुपालन या विलंबित अनुपालन न्यायालय को अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है, परन्तु इस तरह की कमी अपने आप में अभियोजन पक्ष के प्रकरण के लिए घातक नहीं होगी, जब तक कि भौतिक साक्ष्य में विसंगतियां न हों। इस संबंध में भरत आंबले (पूर्वोक्त) के प्रकरण के परिच्छेद 26 व 27 नीचे उद्धरित किए जा रहे हैं :-

“26. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53क या उसके तहत नियमों/स्थायी आदेशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का गैर-अनुपालन या विलंबित अनुपालन न्यायालय को अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है। यद्यपि, इस तरह का निष्कर्ष कब निकाला जा सकता है, इस बारे में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और यह सब प्रत्येक प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53क या उसके तहत स्थायी आदेश (ओं)/नियमों से इस तरह की विलंब या विचलन अपने आप में अभियोजन पक्ष के प्रकरण के लिए घातक नहीं होगा, जब तक कि भौतिक साक्ष्य में विसंगतियां न हों जो ऐसा अनुपालन नहीं किया गया होता। आवश्यकता यह है कि अदालतें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत भौतिक साक्ष्य में मौजूद विसंगतियों के बारे में एक समग्र और संचयी दृष्टिकोण अपनाएँ और इसे किसी भी प्रक्रियात्मक चूक या विचलन के साथ संबंधित या जोड़ें। इस प्रकार, जब भी धारा 53क के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का कोई विचलन या गैर-अनुपालन होता है, तो न्यायालयों को अभियोजन पक्ष के प्रकरण में मौजूद विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए इसकी सराहना करने की





आवश्यकता होती है। प्रक्रियात्मक त्रुटि या कमी के ऐसे मामलों में, न्यायालयों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और विसंगतियों को नजरअंदाज या हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसी सामग्री के कब्जे, जब्ती या वसूली के पहलुओं को संतुष्ट करने के लिए अभिलेख पर सामग्री की और भी अधिक सख्ती से जांच करनी चाहिए।

27. ऐसी परिस्थितियों में, विशेष रूप से जहां एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 क में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में या उसके अनुपालन को पर्याप्त रूप से साबित करने में अभियोजन पक्ष की भाग पुलिस की भाग चूक हुई है, न्यायालयों के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के तहत अवैध सामग्री के कब्जे से अपराध करने के वैधानिक अनुमान का सहारा लेना उचित नहीं होगा, जब तक कि न्यायालय को अभिलेख पर अन्य सामग्री से अभियुक्त व्यक्तियों से ऐसी सामग्री की जब्ती या वसूली के संबंध में अन्यथा संतुष्टि न हो। इसी तरह, 13 का पालन करने में किसी भी विफलता के बावजूद एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 क के तहत निर्धारित प्रक्रिया, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर अन्य सामग्री विश्वास को प्रेरित करती है और अभियुक्त से विनिषिद्ध पदार्थ की वसूली और कब्जा दोनों के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करती है, तो ऐसे मामलों में भी, अदालतें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 क के संदर्भ में किसी भी प्रक्रियात्मक दोष के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के दोषसिद्धि के लिए आगे बढ़ सकती हैं।





21. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, जैसा कि उपर विवेचित है, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 क के प्रावधानों का पालन नहीं अभिनिर्धारित किया जाता है गया है, परन्तु अधिनियम या नियमों/स्थायी आदेशों की उपरोक्त प्रक्रिया का गैर-अनुपालन या विलंबित अनुपालन अपने आप में अभियोजन पक्ष के प्रकरण के लिए घातक नहीं होगा, जब तक कि भौतिक साक्ष्य में विसंगतियां न हों, जैसा कि भरत आंबले (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है गया है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में, अधिनियम की धारा 53 क के प्रावधानों का पालन न करने के अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत भौतिक साक्ष्य में अन्य भौतिक विसंगतियां हैं। , जिसकी चर्चा पिछले परिच्छेद में की गई है।

22. उन भौतिक विसंगतियों पर विचार करने के बाद, यह बिना किसी युक्तियुक्त संदेह के साबित नहीं पाया जाता है कि अपीलार्थी के घर से जब्त किए गए कथित 28 पैकेट 'गांजा' थे।

23. इस प्रकार, वर्तमान प्रकरण में, केवल एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 क के तहत निर्धारित प्रक्रिया का गैर-अनुपालन नहीं है, बल्कि भौतिक साक्ष्य में भौतिक विसंगतियां भी हैं। अतः अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए अपराध के लिए दोषी नहीं अभिनिर्धारित किया जा सकता है, परन्तु, विशेष न्यायालय ने, भौतिक साक्ष्य में भौतिक विसंगतियों और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 53 क के गैर-अनुपालन पर विचार किए बिना, अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया है, अतः आक्षेपित निर्णय पोषणीय नहीं पाया जाता है।

24. उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए, इस अपील स्वीकार की जाती है। विशेष दण्डिक (एन. डी. पी. एस.) प्रकरण सं. 04/2018 में विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस.), बलौदाबाजार, जिला- बलौदाबाजार (छ.ग.) द्वारा पारित 13.5.2022 दिनांकित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (ख) (ii) (ग) के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।



25. अपीलार्थी जमानत पर है। उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत बंध-पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के तहत निहित प्रावधानों को देखते हुए आज से 06 माह की अवधि के लिए परिचालन में रहेंगे।

26. अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही, यदि कोई हो, हेतु अविलंब प्रेषित किया जाए।

सही /-

(नरेश कुमार चंद्रवंशी)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

